## जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 75वी बैठक दिनांक 01-11-2004 को प्रातः 11.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण एजेण्डा संख्या 1 से 4 वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) एवं एजेण्डा संख्या 5 उपायुक्त जोन-7 द्वारा तैयार किया गया जिसका संकलित कार्यवाही विवरणः-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री ए.के. हेमकार, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर।
3. श्री वी.एम. कपूर, अति.आयुक्त भूमि (पूर्व) जविप्रा, जयपुर।
4. श्री ओ.पी. यादव, अति.आयुक्त भूमि(पश्चिम) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती नलिनी कटौतियां, उपायुक्त जोन-5, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री एम.एस. रतनू, उपायुक्त जोन- 11ए, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।

---

एजेण्डा विवरणः-

एजेण्डा सं0 1 :- टोंक रोड पर स्थित सूचना केन्द्र के पीछे निर्मित स्वाधीन छात्रावास की सरकारी भूमि का नियमन करने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया। विचार विमर्श पश्चात नियमन शर्तो के साथ भूखण्ड का नियमन करने का निर्णय लिया गया।

1. इस भूमि में जाने का रास्ता सूचना केन्द्र व मेरू पेलेस के मध्य में 25'-0'' का रास्ता उपलब्ध है। जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2000 के विनियम 4.8.4 की तालिका के नीचे टिप्पणी के अनुसार संस्थानिक भवनों के सामने 40'-0'' चोडी सडक आवश्यक है। इसलिए सडक की चोडाई में शिथिलता दिए जाने के संबंध में पत्रावली अध्यक्ष महोदय को भिजवाई जावे तथा तदानुसार कार्यवाही की जावें।
2. इस भूखण्ड के नियमन की दर राजस्व मंत्री के पत्र दिनांक 26.11.97 के आदेशानुसार ली जावें।

एजेण्डा सं0 2 :- मालवीय नगर तिराहे पर व्यवसायिक योजना में सडक निर्धारण के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया। उपरोक्त योजना के एक साइड में नार्बाड व टेलीफोन विभाग व विष्णुपुरी, किसान गृ.नि.स.स. की योजना नं. 1 स्वीकृत योजना है जिनके सामने, 200'-0''चोडाई की सडक प्रस्तावित है तदानुसार योजनाओं के पट्टे भी जारी हो चुके है। मौके पर बी.टी. सडक बनी हुई है जिसके केन्द्र बिन्दु से लगभग 43'-6'' की दुरी पर नाबार्ड टेलीफोन विभाग की कम्पाउन्ड वाल बनी हुई है। इस प्रकार शेष भूमि दूसरी साइड से लेने पर प्राधिकरण

की योजना प्रभावित होती है। इसलिए विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया कि बी.टी. सडक के केन्द्र बिन्दु से 100'-100' दोनो साइडों से भूमि ली जाव तथा व्यावसायिक योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया जावें। सडक हेतु भूमि टेलीफोन विभाग नाबार्ड व आवासीय कालोनियो से भूमि अवाप्त की जावे एवं स्वीकृत व्यावसायिक योजना के अनुसार पेट्रोल पम्प का साईट प्लान जारी किया जावें।

एजेण्डा सं0 3 :- शिव शंकर हा. को. सो. की योजना ओम विहार के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया। विचार विमर्श पश्चात संशोधित योजना मानचित्र के अनुसार आवासीय क्षेत्रफल 60.50% स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया। योजना में निर्मित भूखण्ड 7.6% है। इसलिए अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति हेतु पत्रावली भिजवाई जावें।

एजेण्डा सं0 4 :- निजी खातेदार स्वामी महेश्वरा नंद (दीप आश्रम) की भूमि कीर्ति नगर गृ.नि.स.स. की योजना किर्ति नगर में पब्लिक युटीलिटी से मृक्त कर लीज डीड जारी करने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया। समिति के सदस्यों को प्रकरण को संबंध में विस्तुत जानकारी उपलब्ध करवाई गयी कि यह पब्लिक युटीलिटी की भूमि निजी खातेदार स्वामी महेश्वरा नंद की थी तथा सहकारी समिति ने गलत तरीके से योजना में दर्शायी है इसलिए समिति के ंविचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया कि यह भूमि स्वामी महेश्वरा नंद (दीप आश्रम) की निजी सम्पति है तथा मौके पर भी उसी का कब्जा है इसलिए किर्ति नगर योजना में से इस भूमि (80' x 90') को पब्लिक युटीलिटी से मुक्त कर लीजडीड जारी की जावे।

एजेण्डा सं0 5 :- गुलाबबाडी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना लॉयन्स लेन के अनुमोदन के संबंध में।

गुलाबबाडी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना लॉयन्स लेन के अनुमोदन के संबंध में प्रकरण को बी.पी.सी. की बैठक दिनांक 30-10-2004 में रखा गया। प्रकरण पर विचार-विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित एजेण्डा व समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र जिसमे आवासीय प्रतिशत 62 प्रतिशत था उस पर समिति के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करवाये जायें। इस संबंध में समिति के पदाधिकारी को भी सुना गया तथा उनके द्वारा यह अवगत करवाया गया कि पूर्व में आवासीय प्रतिशत 68 से कम करते हुए 62 प्रतिशत तक लाया गया है अगर इस पर बी.पी.सी. सहमत है तो मैं हस्ताक्षर करने को तैयार हूं। समिति के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करने से मना करने पर प्रकरण को आगामी कार्य दिवस दिनांक 1-11-2004 को पुनः बी.पी.सी. के समक्ष रखा गया जिसमे समिति के पदाधिकारी श्री महादेव पूनिया उपस्थित हुए तथा विचार-विमर्श कर सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत 62 प्रतिशत आवासीय क्षेत्रफल के स्थान पर दो भूखण्ड संख्या 176 व 192 को सुविधा क्षेत्र माना जाकर एवं पांच भूखण्ड संख्या 130 से 134 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करते हुए 61.21 प्रतिशत आवासीय क्षेत्रफल पर संशोधित एजेण्डा प्रस्तुत किया गया एवं

तदनुसार ही मानचित्र स्वीकृत किया गया। उक्तानुसार मानचित्र पर श्री महादेव पूनिया के हस्ताक्षर कराए गए।

प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिया गया:-

1. योजना में 100' सेक्टर रोड के उत्तरी भाग के भूखण्डों का अमर नगर सी के भूखण्डों से ऑवर लेपिंग होने के कारण भूखण्ड संख्या 203 से 208 व 208-ए को गैर अनुमोदित किया जावे।
2. 200' बाईपास के पूर्वी भाग में स्थित खसरा नं. 21 जो पृथ्वीराज नगर की अवाप्ति में है, में आने वाले भूखण्ड संख्या 104 से 112, 127, 128, 129, 208 एवं 209 से 212 को योजना का भाग मानते हुए उसे पृथ्वीराज नगर की अवाप्ति से मुक्त होने पर नियमन किया जावे।
3. भूखण्ड संख्या 176 व 192 सुविधा क्षेत्र में आने के कारण अस्वीकृत किया जावे।
4. भूखण्ड संख्या 25 से 31 के ऊपर से घरेलू विद्युत लाईन गुजरती है, जिसके शिफ्ट होने के पश्चात् ही इन भूखण्डों का नियमन किया जावे।
5. भूखण्ड संख्या 1 से 10 का भाग जो खसरा बाउण्ड्री से बाहर है, उसे अस्वीकृत किया जाता है। भूखण्ड संख्या 11 खसरा बाउण्ड्री से बाहर होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है।
6. भूखण्ड संख्या 78 में निर्माण योग्य क्षेत्रफल नहीं मिलने के कारण उसे अस्वीकृत किया जाता है।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)

क्रमांक :- जविप्रा/वननि/बी.पी.सी./2004/डी- 167
दिनांक :- 30/11/04

प्रतिलिपि :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त भूमि (पूर्व)/(पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त जोन ..... जविप्रा, जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।